बिरहोर जनजाति में प्रथागत कानून

मार्गदर्शन
डॉ.टी.राधा कृष्णन (आई.ए.एस)
संचालक

निर्देशन
श्री बलभद्र राम
उप संचालक

संकलन एवं लेखन
जी.एल.बलेन्दर
अनुसंधान सहायक

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रतिशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई
अम्बिकापुर-सरगुजा (छ.ग.)

अनुक्रमाणिका

क्र.	अध्याय	विवरण	पृ.क्र. से	पृ.क्र. तक
		प्रस्तावना	1	-
1	अध्याय - एक	सामान्य परिचय	2	11
2	अध्याय - दो	अध्ययन क्षेत्र एवं प्राविधि	12	16
3	अध्याय - तीन	बिरहोर जनजाति में प्रथागत कानून	17	25
4	अध्याय - चार	प्रथागत कानून एवं सामाजिक नियमावली	26	28

प्रस्तावना

भूमिका :–

बिरहोर विषेष पिछड़ी जनजाति जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ व जनषपुर में निवास करती है। यह जनजाति समाज के अन्य जनजातियों से अलग निवास करती है। जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। सरकार द्वारा इन्हें समाज की मुख्यधार में लाने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु बिरहोर विकास अभिकरण का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय जषपुर जिले में है। भारत सरकार द्वारा पृथक से राषि इनके विकास हेतु आबंटित करती है तथा शासन द्वारा योजना बनाकर इनका क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रषिक्षण संस्थान क्षेत्रीय इकाई अम्बिकापुर (छ.ग.) के पत्र क्र./टी. आर.आई/अनु.सर्वे./2014/106 अम्बिकापुर, दिनांक 22/05/2014 के द्वारा बिरहोर जनजाति का मानवषास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करने हेतु निर्देष प्राप्त हुए। उक्त आदेष के परिपालन में बिरहोर जनजाति का प्रथागत कानून का अध्ययन किया गया है।

पृष्ठ भूमि :–

भारत के आदिकालीन निवासी आदिवासी समूह के लोग थे। इसके द्वारा पाषाणकालीन सभ्यता से गुजरते हुये, पशुपालन और कृषि के विकास की अवस्था तक विकसित होने के बाद द्रविड़ों ने इन पर आक्रमण किया। द्रविड़ अस्त्र–षस्त्र तथा युद्ध कौषल में उन्नत थे, अतः भारत के आदि निवासी द्रविड़ों से हार गये तथा भागकर घने जंगलों, तराईयों, घाटियों में चले गये, वहां अलग–अलग स्थानों में बस गये। विकास की गति इन दुर्गम स्थानों में नहीं पहुंच पाई और ये विकास की गति में में काफी पिछड़ गये, इन्ही आदिवासियों को आदिम जाति या आदिवासी या वन्य जाति कहा गया। भारत की आजादी के बाद इन्हें समाज की मुख्यधार में जोड़ने हेतु ऐसे जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी जाति समूह को अनुसूचित घोषित कर सकते है। बिरहोर जनजाति आज भी विकास की मुख्यधार से कोसो दूर है। भारत सरकार द्वारा इन्हें विकास की धारा में जोड़ने के लिए इन्हें विषेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गयी है।

बिरहोर जनजाति का प्रथागत कानून अध्ययन प्रतिवेदन

अध्याय – एक
सामान्य परिचय

1.1 छत्तीसगढ़ संक्षिप्त परिचय :–

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। यह मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व में 17 ०46 उत्तरी अक्षांश में 24 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.20 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 135 191 वर्ग किलोमीटर है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है।

1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आए भारत का 26 वें नवोदित राज्य छ.ग. में मूलतः 16 जिले थे। वर्तमान समय में राज्य में जिलों की कुल संख्या 27 है। राज्य के ये 27 जिले 5 संभागों (बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर एवं दुर्ग) के अंतर्गत आते है।

छ.ग. के भौगोलिक विस्तार में अनेक असमानताएं विद्यमान है। इसके उत्तरी भाग में कोरिया, सरगुजा, तथा जशपुर जिलों में व पर्वमालाओं एवं पठार का विस्तार है। मैकाल पर्वत श्रेणी कवर्धा जिले में दक्षिण–पूर्व तक विस्तृत है। पूर्वी भाग में सत्ती पर्वत लगभग महानदी कछार तक फैला है। रायगढ़ जिला महानदी के उपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पसड़ी मैदान में विभक्त है। दुर्ग और राजनांदगांव छ.ग. मैदान और मैकल श्रेणी में विभक्त है। बस्तर का अधिकांश भाग पठारी है।

1.2 जनसंख्या :–

छ.ग. राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1,28,32,895 एवं महिलाओं की जनसंख्या 1,27,12,303 है।

1.3 जनसंख्या घनत्व :–

छ.ग. राज्य की जनसंख्या घनत्व सन् 2011 की जनगणना के आधार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी है।

1.4 जनसंख्या वृद्धि दर :–

छ.ग. राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर (2001–2011) में 22.6 प्रतिशत है।

1.5 लिंगानुपात :–

लिंगानुमात महिलाओं एवं पुरूषों के पारस्परिक अनुमात को प्रदर्शित करता है, सन् 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति 1000 पुरूषों पर 991 महिलाएं है।

1.6 साक्षरता :–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छ.ग. की सम्पूर्ण साक्षरता 70.3 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों की साक्षरता 80.3 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 60.2 प्रतिशत है।

1.7 नगरीकरण :–

नगरीकरण से तात्पर्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात से है। छ. ग. की जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में वितरित है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या 5,93,7,237 है। यह कुल जनसंख्या का 23.2 प्रतिशत है।

1.8 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियां :–

ऐसे जनजातियां जिन्हे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है अनुसूचित जनजाति कहलाते है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित घोषित कर सकते है। छ.ग. में अनुसूचित जनजातियों समूह की संख्या 42 है सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 7,82,2,902 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक–तिहाई जनसंख्या सभी जिले में अनुसूचित जनजातियों की आबादी

पायी जाती है। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में इन जातियों का वितरण समान रूप से नहीं है। ये जनजातियों आमतौर पर पहाड़ी तथा वनाच्छादित क्षेत्रों में अधिक रहते है।

तालिका 1.8

जिलेवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (2011)

क्र.	जिला	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिला	अनु.ज.जा.प्रतिशत
1	सरगुजा	1300628	652799	647829	55.11%
2	बस्तर	931780	456841	474939	65.93%
3	जशपुर	530378	262731	267647	62.28%
4	रायगढ़	505609	250473	255136	33.84%
5	बिलासपुर	498469	248172	250297	18.71%
6	कोरबा	493559	246323	247236	40.90%
7	रायपुर	476446	235271	241175	11.72%
8	कांकेर	414770	203934	210836	55.38%
9	दन्तेवाड़ा	410255	199731	210524	76.88%
10	राजनांदगांव	405194	198032	207162	26.36%
11	दुर्ग	397416	196008	201408	11.88%
12	कोरिया	304280	152659	151621	46.18%
13	महासमुंद	279896	137339	142557	27.10%
14	धमतरी	207633	102058	105575	25.96%
15	बीजापुर	204189	101519	102670	80.00%
16	जंजगीर–चांपा	187196	93186	94010	11.56%
17	कवर्धा	167043	82597	84446	20.31%
18	नारायणपुर	108161	53518	54643	77.36%
	योग	**7822902**	**3873191**	**3949711**	**30.60%**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी सरगुजा जिलें में तथा सबसे कम आबादी नारायणपुर जिलें में है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि एक ओर जहां बीजापुर जिलें की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 80.00 प्रतिशत है वहीं जांजगीर–चांपा जिले में यह मात्र 11.56 प्रतिशत ही है। राज्य के 7 जिलों – दन्तेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, कांकेर, सरगुजा, बीजापुर एवं नारायणपुर में आधी से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।

1.9 जनजातियों का संकेन्द्रण :–

छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों के संकेन्द्रण को तीन भागों में बांटा जा सकता है :–

1. उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र – इसमें कोरिया, सरगुजा, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर मुंगेली तथा जांजगीर चांपा जिलों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां– गोड़, कंवर, कोरवा, बिरहोर, उरांव, खैरवार, बिझंवार, कोडार तथा भैना है।

2. मध्यवर्ती भाग – इस क्षेत्र में रायपुर, गरियाबंध, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा जिले है यह क्षेत्र कमार, हल्बा, भतरा, सोता, सोनता तथा बिझंवार आदि जनजातियों का निवास क्षेत्र है।

3. दक्षिणी क्षेत्र – दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा कांकेर जिले शामिल है इस क्षेत्र में गोड़, भाड़िया, मुडिया, हल्बा, अबूझमाड़िया, परजा, गदबा तथा भतरा आदि जनजातियां पाई जाती है।

1.10 प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां :–

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती है जो निम्नानुसार है :–

1. बैगा	:	कवर्धा, बिलासपुर।
2. पहाड़ी कोरवा	:	कोरवा, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जशपुर
3. बिरहोर	:	जशपुर, रायगढ़
4. अबुझमाड़िया	:	नारायणपुर

रायगढ़/जशपुर जिले की सामान्य जानकारी

1.11 सामान्य जानकारी :–

रायगढ़ जिला राज्य के सुदूर पूर्व भाग में स्थित है। यह बिलासपुर जिले के 21.20 तथा 23.15 उत्तरी अक्ष्यंश तथा 82.56 तथा 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, इसके उत्तर में जशपुर जिला दक्षिण पूर्व तक उड़ीसा राज्य की सरहद से 6527.44 वर्ग किलो मीटर के दायरे में फैला रायगढ़ जिला उत्तरीय क्षेत्र जहां बीहड़ जंगल, पहाड़ियों से आच्छादित है वही इसका दक्षिण हिस्सा ढेढे मैदानी है। जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, महानदी, माण्ड, केलो, ईब, कन्हर एवं गौर नदियां है। इसमें से कुछ नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है जो कृषि फसल को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है।

1.12 जिले का नाम :–

जिले का नाम रायगढ़ नगर पर पड़ा है जो रायगढ़ जिले का मुख्यालय है। जिले के गठन के पूर्व रायगढ़ एक महत्वपूर्ण सामंती रियासत की राजधानी है। जैसा कि छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस गजेटियर में बताया गया है। रायगढ़ नाम की उत्पत्ति 'राई' से हुई है। जिसका अर्थ कटीले वृक्ष की एक प्रजाति से होता है और गढ़ शब्द का अर्थ किला होता है। राई का मानक हिन्दी नाम ''कल्ला'' है जिसका अर्थ डिलिनिया पैन्टागाईना राक्सबी होता है। छत्तीसगढ़ तथा पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में 'गढ़' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से किला ही नहीं होता है। रतनपुर के हैहय शासकों के अधीन गढ़ एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई होता था। जिसमें किला होता था या नहीं भी होता था। जो पारंपरिक रूप से 84 गांवों का नियंत्रण रखता था। बाद में इस शब्द से स्थान का अधिक महत्व बढ़ जाने से गढ़ शब्द अन्य अनेक बस्तियों के नाम के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया ।

1.13 जनसंख्या :–

2011 की जनगणना के अनुसार रायगढ़ जिले की कुल जनसंख्या 1493984 जिसमें पुरूष जनसंख्या 750278 एवं महिला जनसंख्या 750278 है। जिसमें से अनुसूचित जाति

की संख्या 224942 है जो कुल जनसंख्या का 15.06 प्रतिशत ह। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 505609 है जो कुल जनसंख्या का 33.84 प्रतिशत है।

तालिका क्र. – 1.13

रायगढ़ जिले की जनसंख्या विकासखण्डवार निम्नानुसार है :–

विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनु.जाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या से प्रतिशत	अनु.जनजाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या से प्रतिशत
	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.		कुल	पु.	म.	
धरमजयगढ़	207030	103310	103720	13942	6973	6969	6.73	136915	67783	79132	66.13
लैलूंगा	130613	65035	65578	9622	4759	4863	7.37	82923	41179	41744	63.48.
घरघोड़ा	79425	39330	40095	6096	3028	3068	7.68	46718	22983	23735	58.82
तमनार	97975	49342	48633	9508	4797	4711	9.70	47818	23621	24197	48.81
रायगढ	307513	157560	149953	48000	24056	23944	15.61	56498	28258	28240	18.37
पुसौर	139799	70261	69538	20075	9995	10080	14.35	28775	14333	14442	20.58
खरसिया	150627	75194	75433	19106	9480	9626	12.68	44105	21727	22378	29.28
सारंगढ	229603	114164	115439	73854	36666	37188	32.17	31402	15483	15919	13.68
बरमकेला	151399	76082	75317	24739	12357	12382	16.34	30455	15106	15349	20.12
योग	1493984	750278	743706	224942	112111	112831	15.06	504609	250473	255136	33.84

वर्तमान में रायगढ़ जिले के विकासखण्ड घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, तमनार पूर्वतः आदिवासी विकासखण्ड है जबकि सामुदायिक विकासखण्ड में रायगढ़, सारंगढ़, पुसौर व बरमकेला है। खरसिया विकासखण्ड का कुछ हिस्सा सामुदायिक एवं कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र है।

रायगढ़ जिले में प्रमुख रूप से कंवर, उरांव नगेसिया, कोरवा, मांझी, भैंसवार, भूमिया, भूनिहार जनजाति निवास करती है।

विशेष पिछड़ी जनजातियां बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा यहां निवास करती है। अनुसूचित जाति में चमार, मोची, सतनामी, सूर्यवंशी, घासी या घसिया, बसोर, खटिक, चिकब आदि निवासरत है।

1.14 पर्यटन स्थल :–

रायगढ़ जिले में ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है यहां सिंघनुपर, ओंगना, करमागढ़ की पहाड़िया तथा रायगढ़ के समीप कबरा पहाड़ प्रागैतिहासिक युग से मनुष्यों द्वारा निर्मित शैलचित्र पाये गये है।

1.15 प्रशासनिक इकाई :–

प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिले को 5 अनुविभागों में एवं 9 तहसील क्रमश : खरसिया, घरघोड़ा लैलुंगा धरमजयगढ़, तमनार, रायगढ़, पुसौर सारंगढ़, बरमकेला में विभक्त है। जिले में आदिवासी विकासखण्डों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी आदिम जनजातियां की संख्या अधिक है। ऐसे क्षेत्र जहां 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या है उसे माड़ा पाकेट के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे माड़ा पाकेट सारंगढ़ तथा गोपालपुर है। माड़ा पाकेट सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखण्ड के 56 ग्राम तथा बरमकेला विकासखण्ड के 42 ग्राम एवं 2 वनग्राम इस प्रकार कुल 100 ग्राम है। जबकि माड़ा पेकेट गोपालपुर में 33 ग्राम शामिल है इस प्रकार जिले में माड़ा पाकेट कि अंतर्गत 133 ग्राम शामिल किया गया एवं जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धरमजयगढ़ 6 विकासखण्ड के 762 गांवों को शमिल किया गया है।

1.16 जनसंख्या घनत्व :–

रायगढ़ जिले की जनसंख्या घनत्व सन् 2011 की जनगणना अनुसार 211 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

1.17 जनसंख्या वृद्धि दर :–

रायगढ़ जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) में 18.05 प्रतिशत है।

1.18 लिंगानुपात :–

लिंगानुपात महिलाओं एवं पुरूषों के पारस्परिक अनुपात को प्रदर्शित करता है। सन् 2011 के जनगणना के अंतिम आकड़ों के अनुसार रायगढ़ जिले के लिंगानुपात 1000 पुरूषों पर 991 महिलाएं है।

1.19 साक्षरता :–

रायगढ़ जिले की जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत 73.26 है जिसमें पुरूष साक्षरता प्रतिशत 83.49 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता प्रतिशत 63.02 प्रतिशत है।

जिला – जशपुर

1.20 सामान्य जानकारी :–

जशपुर जिला वर्ष 1998 में जिला–रायगढ़ से पृथक कर बनाया गया। 1 नवम्बर 2000 में मध्यप्रदेश से विभाजित होकर छ.ग. राज्य अस्तित्व में आया। नवगठित राज्यों में 16 जिलों में से जिला–जशपुर एक है। यह जिला राज्य में पूर्व भाग में स्थित है इसकी पूर्वी सीमा पर झारखण्ड राज्य, पश्चिम में बिलासपुर, उत्तर में बिहार एवं दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। जशपुर जिले की मुख्य भौगोलिक क्षेत्रफल 4569.00 वर्ग किलोमीटर है।

1.21 विकासखण्ड :–

जशपुर जिले में विकासखण्ड क्रमशः

1. जशपुर
2. दुलदुला
3. कुनकुरी
4. फरसाबहार
5. बगीचा
6. कांसाबेल
7. पत्थलगांव
8. मनोरा

ये सभी विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है।

1.22 **ग्राम की संख्या :** – जशपुर जिले में कुल की 657 है

राजस्व ग्राम 646

वनग्राम – 11

1.23 जनजातियां :–

जशपुर जिले की प्रमुख जनजातियां मुख्यतः, उरांव, कंवर, नगेशिया, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, खड़िद्दया, खैरवार तथा भुईयां जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। विकासखण्ड बगीचा एवं मनोरा में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं विकासखण्ड कुनकुरी, कांसाबेल, दुलदुला एवं बगीचा में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर निवास करते है।

1.24 **जनसंख्या** –

सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जशपुर जिले की कुल जनसंख्या 851669 है पुरूष जनसंख्या 424747 एवं महिला जनसंख्या की संख्या 426922 है।
अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या – सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जशपुर में कुल जनजातियां जनसंख्या 530378 है। जिसमें पुरूष की संख्या 262731 एवं महिलाओं की संख्या 267647 है जो जिले की कुल जनसंख्या 851669 का 62.28 प्रतिशत है। जिले में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 48844 है जिसमें पुरूष की संख्या 24317 एवं महिलाओं की संख्या 24527 है जो जिले की कुल जनसंख्या का 5.74 प्रतिशत है।

तालिका क्र.1.24

विकासखण्डवार कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या

विकाखण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अनु. जाति कुल जनसंख्या का प्रतिशत	अनु. जनजाति कुल जनसंख्या का प्रतिशत
	कुल	पु.	महि.	कुल	पु.	महि.	कुल	पु.	महि.		
बगीचा	171711	86023	86688	6616	3370	3246	121195	60365	60830	3.85	70.58
कांसाबेल	76735	37840	38895	4695	2305	2390	47849	23493	24356	6.12	62.34

जशपुर	96360	48449	47911	6213	3086	3127	54977	27301	27676	6.45	57.05
मनोरा	60695	30710	29985	1974	1005	969	48740	24542	24198	3.25	80.30
कुनकुरी	95300	47657	47643	4958	2452	2506	46765	23104	23661	5.20	49.03
दुलदुला	50840	25092	25748	2636	1301	1335	25023	12271	12752	5.18	49.07
फरसाबहार	108498	53496	55002	3594	1787	1807	64631	31610	33021	3.31	59.57
पत्थलगांव	191530	95480	96050	18158	9011	9147	121198	60045	61153	9.48	63.28
योग	**851669**	**424747**	**426922**	**48844**	**24317**	**24527**	**530378**	**262731**	**267647**	**5.74**	**62.27**

1.25 जनसंख्या घनत्व :–

जशपुर जिले की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के आधार प्रति वर्ग किमी 146 व्यक्ति है।

1.26 जनसंख्या वृद्धि दर :–

जशपुर जिले मे जनसंख्या वृद्धि दर सन् 2011 के जनगणना के आधार पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) 14.60 प्रतिशत है।

1.27 लिंगानुपात :–

जशपुर जिले की लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के आधार 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1005 है।

1.28 साक्षरता :–

जशपुर जिले की साक्षरता प्रतिशत सन् 2011 के गणना के आधार 67.29 प्रतिशत है। जिले में पुरूष साक्षरता प्रतिशत 77.32 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता प्रतिशत 58.61 प्रतिशत है।

———0———

अध्याय – दो
अध्ययन क्षेत्र एवं प्राविधि

2.1 अध्ययन क्षेत्र :–

बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दो जिले रायगढ़ एवं जशपुर में पायी जाती है। रायगढ़ जिला 6527.44 वर्ग किमी क्षेत्रों में फैला हुआ है एवं जशपुर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल 4596.00 वर्ग किलो मीटर है। रायगढ़ जिले में 9 विकासखण्ड है जिसमें से घरघोड़ा, लैलुंगा, तमनार, धरमजयगढ़ पूर्णतः आदिवासी विकासखण्ड है। जशपुर जिले में जशपुर, दुलदुला, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा, कांसाबेल, पत्थलगांव तथा मनोरा आदिवासी विकासखण्ड है। रायगढ़ जिले की कुल जनसंख्या का 33.84 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों का है एवं जशपुर जिले की कुल जनसंख्या का 62.28 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों का है। रायगढ़ जिले के चार विकासखण्ड क्रमशः घरघोड़ा, लैलुंगा, तमनार, घरमजयगढ़ एवं जशपुर जिले के पांच विकासखण्ड क्रमश : पत्थलगांव, कुनकुरी कांसाबेल, दुलदुला एवं बगीचा में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर जनजाति निवासरत है। इन विकासखण्डों में अन्य जनजातियां जैसे कंवर, उरांव नगेशिया, कोरवा, मांझी मंझवार, भूमिया, भूमिहार, खड़िया, खैरवार भी निवासरत है। विकासखण्डवार उनकी जनसंख्या निम्नानुसार है।

तलिका क्र. 2.1

रायगढ़/जशपुर जिले में बिरहोर जनजाति की ग्रामवार जनसंख्या

क्र.	ग्राम	विकासखण्ड	परि.संख्या	परियोजना	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
1.	ओंगना	धरमजयगढ़	07	धरमजयगढ़	26	16	10
2.	बोंकी सकरलिया	———,,———	10	———,,———	22	10	12
3.	कांटाडांड	———,,———	09	———,,———	39	19	20
4.	खलबोरा	———,,———	23	———,,———	110	59	51
5.	कंवईडूगक	———,,———	02	———,,———	11	08	03

6.	स्कवासुपारा	———,,———	01	———,,———	05	03	02
7.	बसंतपुर	———,,———	16	———,,———	55	20	35
8	जूनापारा	———,,———	06	———,,———	18	10	08
9	कुआफूल	———,,———	22	———,,———	72	38	34
10	केकरापारा	———,,———	02	———,,———	07	03	04
11	रायमेर	———,,———	12	———,,———	33	18	15
12	खर्रा	———,,———	20	———,,———	76	39	37
13	हाटी	———,,———	02	———,,———	08	03	05
14	मांझीपारा	———,,———	10	———,,———	36	20	16
15	बिरहोरपारा बरतापाली	———,,———	11	———,,———	32	15	17
16	चिखलापानी	———,,———	22	———,,———	83	41	42
	योग		175		**633**	**322**	**311**
17	हिंझर	तमनार	04	धरमजयगढ़	14	05	09
18	कोडरेल	———,,———	14	———,,———	31	15	16
19	सीतापारा	———,,———	22	———,,———	63	28	35
	योग		**40**		**108**	**48**	**60**
20	कर्रा	लैलूंगा	07	धमजयगढ़	30	15	15
21	झगरपुर	———,,———	09	———,,———	32	13	19
	योग		16		62	28	34
22	कोटरीमाल	घरघोडा	05	धरमजयगढ़	18	10	8
23	लिमदहा	———,,———	07	———,,———	26	11	15
	योग		12		44	25	19
24	बुलडेगा	पत्थलगांव	26	जशपुर	80	24	36

25	कुकूर भूका	——,,——	06	——,,——	20	09	11
	योग		32		100	53	47
26	झरगांव	दुलदुला	13	——,,——	41	16	25
	योग		13		41	16	25
27	राजटोंगरी	कांसाबेल	05	——,,——	19	10	09
28	बटईकेला (सागीभावना)	——,,——	12	——,,——	42	24	18
29	बैगाअंबा	——,,——	09	——,,——	32	15	17
	योग		26		93	49	44
30	भितधरा	बगीचा	15	——,,——	65	35	30
31	ढेंगूरजोर	——,,——	35	——,,——	135	70	65
32	घोघर	——,,——	10	——,,——	34	20	14
33	घुसराडांड़	——,,——	02	——,,——	05	03	02
	योग		62		239	128	111
34	बेहराकार	कुनकुरी	25	——,,——	70	36	34
	योग		25	——,,——	70	36	34
	महायोग		**401**		**1390**	**705**	**685**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिरहोर परिवार अल्प संख्या में किसी ग्राम में रहते है केवल 07 ग्राम ऐसे है जहां 20 से अधिक बिरहोर परिवार है और 27 ग्राम ऐसे है जहां कम बिरहोर परिवार है। इस प्रकार 34 ग्रामों में कुल 401 बिरहोर परिवार है। जिनकी कुल जनसंख्या 1390 है। इनके औसत परिवार की सदस्य संख्या 3.47 है।

2.2 अध्ययन प्रविधि :–

2.2.1 साक्षात्कार एवं सामुहिक चर्चा विधि :– बिरहोर जनजाति के प्रथागत कानून के अध्ययन हेतु जशपुर क्षेत्र के बिरहोर बाहुल्य ग्रामों का भ्रमण कर तथा बगीचा विकासखण्ड के

ग्राम बुलडेगा में निवासरत बिरहोर प्रमुखों से सामुहिक चर्चा कर प्रथागत कानून के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई विकासखण्ड बगीचा के ग्राम बुलडेगा में उपस्थित बिरहोर प्रमुखों के कुछ नाम निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम
1	फगनुराम	लोभन
2	गुरवारों	लोभन
3	चरंगुराम	गुरवारों
4	नंदलाल	गुरवारों
5	कंदरा राम	रातुराम
6	सुखन राम	बुद्धराम
7	गेंदाराम	रातुराम
8	सोभराम	रातुराम
9	डेरिहाराम	रातुराम
10	भोलाराम	सुन्दरराम
11	गणेषराम	मलियाराम
12	एतोराम	गणेष
13	बैषाखुराम	बुध्धुराम
14	फगनीबाई	फगनीबाई स्व.रतनसाय
15	सोनसाय	बिरजूराम
16	रथोराम	पंद्रहराम
17	धनीराम	कंदरो
18	सुखलाल	बुध्धुराम
19	परदेशीराम	झखड़ीराम
20	सुखीराम	सोनसाय
21	बुहुराम	सोनसाय
22	समारीबाई	रातुराम
23	कदनीबाई	झखडीराम

24	सुखमेत	बुध्धुराम
25	फन्नुबाई	अगनी
26	बैषाखीबाई	सोनसाय

उपरोक्त बिरहोर प्रमुखों से सामुहिक चर्चा की गई एवं बिन्दुवार जानकारी एकत्रित की गई। इसी प्रकार विकासखण्ड बगीचा के ग्राम–घोघर में निवास करने वाले बिरहोर जाति के बुजुर्गो से चर्चा की गई एवं उनसे सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। इस ग्राम से सामुहिक चर्चा में भाग लेने वाले बिरहोर सदस्यों के नाम निम्नानुसार है।

1. **फगनी राम सोनवानी**
2. **सोभाराम बांधी**
3. **पदरसाय सोनवानी**
4. **सुखीराम सोनवानी**
5. **कुंवर सोनवानी**
6. **लाखो बाई सोनवानी**
7. **रामबरी बाई**

इस प्रकार बिरहोर जनजाति के प्रथागत कानूनों का अध्ययन करने हेतु जषपुर जिले विकासखण्ड बगीचा के दो ग्रामें से बिरहोर प्रमुखों से सम्पर्क किया गया है।

———0———

अध्याय – तीन

बिरहोर जनजाति में प्रथागत कानून

प्रथागत कानून :–

भारतीय समाज के सभी धर्मो, जातियों में, प्रत्येक समाज की अपनी प्रथागत कानून व्यवस्था होती है, जिनके द्वारा प्रत्येक समाज का व्यवस्थित ढंग से संचालन होता है। प्रथागत कानून प्रत्येक जाति समाज में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरण होता है। जाति समाज के प्रथागत कानूनन को जाति समाज के प्रत्येक व्यक्ति मानने को बाध्य होते है। यदि कोई जाति समाज के व्यक्ति यदि इन समाज के प्रथागत कानून का उल्लंघन करता है। तो जाति समाज उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जाति समाज के प्रथागत कानून का उल्लंघन नहीं करता है। भारत के सभी जनजातियों में भी प्रथागत कानून व्यवस्था पायी है, लेकिन प्रत्येक जनजातियों की प्रथागत कानूनों में अंतर भी पायी जाती है। यदि देखा जाय तो जनजातियों की प्रथागत कानून भी अति प्रचीन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के कारण इसमें बदलाव भी देखने को मिलती है। फिर भी जनजातियों की प्रथागत कानून कुछ जनजातियों में लचलीला है तो कुछ में कठोरता भी है,

छ.ग. में 42 प्रकार की जनजातियों निवासरत है इन जनजातियों की अपनी–अपनी अलग–अलग मौखिक प्रथागत कानून है, छ.ग. की अधिकांश जनजातियों में अभी भी मौखिक प्रथागत कानून पायी जाती है। हां कोई–कोई जनजाति समाज में मूल मूल कानून व्यवस्था लिखित में पायी जाती है। बिरहोर जनजाति छ.ग. की सबसे पिछड़ी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा जनजाति की दर्जा प्राप्त है, बिरहोर जनजाति की भी अपनी मौखिक प्रथागत कानून व्यवस्था है, जिसे सभी बिरहोर जाति के लोग मानने के लिए बाध्य होते है। बिरहोर की प्रथागत कानून व्यवस्था कई मामलों में अंत्यत कठोर है तो कई मामलों में अत्यंत लचीले भी देखने को मिलती है। कोई भी बिरहोर प्रथागत कानून व्यवस्था को उल्लंघन करने हिम्मत नहीं करते है। बल्कि प्रथागत कानून व्यवस्था को सभी स्वीकार करते है।

जाति संगठन एवं प्रथागत कानून :–

बिरहोर जनजाति में प्रथागत एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था हेतु परम्परागत राजनैतिक संगठन पाया जाता है। ये लोग प्रथागत कानून व्यवस्था की सही संचालन करने के लिए दो स्तर में जाति पंचायत का गठन किये है :–

1. **ग्राम जाति पंचायत** :– ग्राम जाति पंचायत प्रत्येक बिरहोर ग्राम में पायी जाती है जिस ग्राम में बिरहोर परिवार या सदस्य कम पाये जाते है वहां दो–तीन बिरहोर ग्राम मिलकर जाति पंचायत का गठन करते है।

(अ) सदस्य संख्या :–

बिरहोर जाति पंचायत की सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है। प्रायः सभी बिरहोर परिवार इनके सदस्य होते है।

(ब) कार्य कारिणी :–

बिरहोर जाति पंचायत की कार्यकारिणी बिरहोर जाति पंचायत का महत्वपूर्ण अंग होती है। जो निर्णायक समिति एवं बिरहोर जाति की प्रथागत कानून एवं सामाजिक न्याय व्यवस्थान संचालित एवं नियंत्रित करती है। कार्यकारिणी का गठन बिरहोर जाति पंचायत की कार्यकारिणी निम्न सदस्यों से मिलकर बनती है।

1. ग्राम मुखिया या ग्राम अध्यक्ष –1
2. ग्राम उप मुखिया या ग्राम उपाध्यक्ष –1
3. कार्यकारिणीय सदस्य –3
4. कोषाध्यक्ष –1

(स) कार्यकारिणीय **का चुनाव :–**

बिरहोर ग्राम जाति पंचायत की कार्यकारिणीय, ग्राम मुखिया, उप मुखिया एवं कार्यकारिणीय सदस्य का चुनाव सभी बिरहोर परिवार मिलकर करते हैं। प्रायः बिरहोर जाति के प्रथागत कानून, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक नियमों के जानकारी रखने वाले व्यक्ति कार्यकारिणीय के सदस्य होते हैं।

(द) कार्यकारिणीय का कार्यकाल :–

बिरहोर ग्राम जाति पंचायत की कार्यकारिणीय कार्यकाल की निश्चित अवधि की नहीं होती है, प्रायः सामाजिक स्तर पर जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, वहीं लम्बी अवधि तक कार्यकारिणीय के सदस्य बनें रहते हैं। जब किसी सदस्य की कार्य प्रणाली पर बिरहोर जाति के सदस्य आपत्ति करते हैं तो उसके जगह किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाता है।

(ई) ग्राम जाति पंचायत के कार्य :–

ग्राम जाति पंचायत के कार्यकारिणीय के कार्य बिरहोर जाति के प्रथागत कानून जो कि बिरहोर जाति के पूर्वजो के द्वारा बनाया गया, उन प्रथागत कानून एवं सामाजिक नियमों को बिरहोर जाति के लोगो को मानने हेतु बाध्य करता है, और यहि कोई जाति समाज के व्यक्ति उसे उल्लघंन करता है तो उसे सामाजिक नियमावली के अनुसार दण्डित करना होता है। इसके अतिरिक्त ग्राम जाति पंचायत अपने ग्राम स्तर पर निम्न कार्य करती है–

(1) बिरहोर जाति के देवी–देवता की पूजा हेतू धन एकत्रित करना :–

बिरहोर जाति पंचायत के कार्यकारिणीय के कार्य जब कभी भी ग्राम देवी देवताओं को सभी बिरहोर जाति के लोग सामुहिक रूप से मिलकर पूजा पाठ या उत्सव मनाते हैं तो उसके लिए ग्राम जाति पंचायत कार्यकारिणीय सभी बिरहोर परिवारों स`चंदा मांग कर धन एकत्रित करते हैं, व पूरी उत्साह के साथ देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं।

(2) जाति गत झगड़ो का निपटारा करना :–

बिरहोर ग्राम जाति पंचायत कार्यकारिणीय का मुख्य कार्य जातिगत झगड़ो का निपटारा करना भी होता है। बिरहोर जाति जातिगत झगड़ो का निराकरण ग्राम जाति पंचायत कार्यकारिणीय के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के झगड़ो का निराकरण करने हेतु कार्यकारिणीय के द्वारा सम्बंधित ग्राम में बैठक बुलाया जाता है। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रमुख करता है, अध्यक्ष सम्बंधित पक्षकारो से जातिगत झगड़ो के सम्बंध में पुछते हैं, दोनो पक्षकारो से पुछ–ताछ करने के बाद बिरहोर ग्राम जाति पंचायत के कार्यकारिणीय सामाजिक नियतावली के प्रथागत कानून के आधार पर दोषी पक्षकार को दण्डित करते हैं। दण्ड प्रायः

बहुत कम होता है। दोषी पक्षकार ग्रामवासीयों को सामुहिक भोज कराना पड़ता है। दोषी पक्षकार दण्ड को मनाने के लिए बाध्य होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की विवाद न हो और ग्राम में शांति व्यस्था बना रहे।

(3) सगोत्र शादी–विवाह को रोकना :–

छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रायः सगोत्र शादी–विवाह नहीं किया जाता है, सगोत्र शादी–विवाह को समाज मान्यता नहीं होता है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसे जनजाति सामाज अपने सामाजिक नियमों एवं प्रथागत कानून के आधार पर दण्डित करते हैं। प्रायः सभी जनजाति समाज में कृत्य करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने की अलग–अलग नियम एवं प्रथागत कानून बना हुआ है। प्रथागत कानून एवं सामाजिक नियमावली व्यक्ति को इस प्रकार की कृत्य करने से रोकता है।

बिरहोर जनजाति में सगोत्र विवाह वर्जित है। प्रायः सभी बिरहोर जानते है कि हमारे जाति समाज में सगोत्र विवाह नहीं किया जाता है तथा इस सम्बंध में सामाजिक नियम भी बना हुआ है। कि सगोत्र विवाह को मान्य नहीं किया जाऐगा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की गलती करता है तो ग्राम जाति पंचायत कार्यकारिणीय तत्काल कार्यवाही करते हुए दोषी व्यक्ति के उपर सामाजिक नियमों के आधार पर कार्यवाही करता है – सामाजिक नियमों के अनुसार इस प्रकार कृत्य करने पर दोषी पक्षकारों को समाज से ब्रहिस्कृत करने का प्रावधान है, तथा यदि कोई भी बिरहोर जाति के लोग उनके साथ उठना–बैठना, बात–चीत करना मना कर दिया जाता है। इस बहुत की कठोर दण्ड के प्रावधान होने के कारण प्रायः बिरहोर जाति में सगोत्र विवाह नहीं होता है। सगोत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ एक ही प्रकार के गोत्र से होता है। बिरहोर जाति सगोत्र विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करता है, तथा इस सम्बंध यह धारणा है कि एक गोत्र के लोग आपस में भाई–बहन की रिश्ता होता है। इसलिए बिरहोर अपने से अलग गोत्र में ही विवाह करते हैं।

(4) गांव व जाति के लोगों को सामाजिक नियमों व कानून के बारे में जानकारी देना :–

बिरहोर ग्राम जाति पंचायत गांव व जाति के लोगों को बिरहोर जाति के प्रथागत कानून एवं सामाजिक नियमों की जानकारीयां भी गांव वालों को समय–समय पर

देते रहते हैं। जिससे सभी बिरहोर परिवार को सामाजिक नियमों की जानकारी होती रहती है। जानकारी होने के कारण कोई भी बिरहोर सामाजिक नियमों का उल्लघंन नहीं करते हैं।

(5) अंतरजाति विवाह को रोकना :–

छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों में अपनी ही जाति में विवाह को सामाजिक रूप से मान्यता दिया जाता है। अन्य जाति में यदि कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उसे सामाजिक नियमों एवं प्रथागत कानून का उल्लघंन समझा जाता है। और जाति समाज वाले ऐसे व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन नहीं करने के कारण दण्डित करता है। दण्ड प्रायः आर्थिक व सामाजिक भोज के रूप में होता है। बिरहोर जाति में भी अंर्तजाति विवाह वर्जित है। यदि कोई बिरहोर व्यक्ति अपने से दूसरे जाति के लड़की से विवाह करता है या बिरहोर जाति के लड़की से विवाह करता है या बिरहोर जाति के लड़की को दूसरे जाति वाले विवाह कर लेता है तो ग्राम जाति पंचायत सबसे पहले ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को जाति समाज से बहिस्कृत करता है। और जब ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति जाति समाज मे मिलना चाहता है, तो ग्राम जाति पंचायत एक बैठक आहूत करता है, बैठक में सम्बंधित पक्षकारों को बुलाया जाता है, तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद सामाजिक नियमों का उल्लंगन करने के कारण उसे आर्थिक एवं सामाजिक नियमों का उल्लंगन करने के कारण उसे आर्थिक एवं सामाजिक भोज के रूप में दण्ड लिया जाता है। तत्पश्चात् यदि लड़की अन्य जाति की होती है तो उसे नहीं मिलाया जाता है। केवल लड़का को और उनसे होने वाले बच्चा को बिरहोर जाति में मिलाया जाता है।

यदि कोई बिरहोर जाति के लड़की अन्य जाति समाज में विवाह कर लेती है, तो जाति समाज वाले अपने जाति समाज में आने–जाने एवं बात–चीत में प्रतिबंध लगा देता है। और लड़की को जाति समाज के लिये मर गया है समझा जाता है तथा इसके लिए लड़की के माता–पिता को दण्डित किया जाता है, कि आपने–अपने बच्चों (लड़की) को सही संस्कार नहीं दिये इसलिए तुम्हारा लड़की अन्य जाति में विवाह कर ली। इसलिए माता–पिता दोषी हैं और उन्हे आर्थिक एवं सामाजिक भोज कराने को कहा जाता है। जिसे माता–पिता को मानना पड़ता है। यदि कोई मना कर देता है तो उसे जाति समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है।

(6) अन्य जाति से लड़ाई–झगड़ा रोकना :–

बिरहोर जाति के लोग प्रायः सीधे सरल स्वभाव वाले होते हैं। बिरहोर बस्ती में सभी लोग बिरहोर जाति के लोग होते हैं। इनके बीच आपसी विवादें झगड़े बहुत ही कम होता है। बिरहोर जाति पंचायत अपने जाति समाज में प्रेम एवं भाईचारा बनायें रखना चाहते हैं। इसलिए बिरहोर जाति में अन्य जाति से लड़ाई झगड़ा करना सक्त मना होता है। यदि कोई बिरहोर जाति के व्यक्ति अन्य जाति अन्य जाति के व्यक्ति से झगड़ा, लड़ाई करता है तो उसे सामाजिक नियमों का उल्लंगन मानते हुए आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दण्डित किया जाता है।

2. **केन्द्रीय जाति पंचायत :–**

केन्द्रीय बिरहोर जाति पंचायत बिरहोर जाति की केन्द्रीय जाति पंचायत होती है। केन्द्रीय जाति पंचायत बिरहोर जाति की अंतिम निर्णायक समिति होती है। केन्द्रीय जाति पंचायत में प्रायः जाति से सम्बंधी अपीलीय प्रकरण एवं सामाजिक स्तर के नियमों को बनाने एवं पालन करवाना का कार्य किया जाता है।

1. **सदस्य संख्या :–** केन्द्रीय जाति पंचायत में सदस्यों की निशिचित नहीं है।
2. **कार्यकारिणी :–** बिरहोर के केन्द्रीय जाति पंचायत में निम्न पद केन्द्रीय जाति पंचायत के संचालन हेतु होते हैं–

(1) अध्यक्ष – 1

(2) उपाध्यक्ष – 1

(3) सचिव – 1

(4) कोषाध्यक्ष – 1

(3) **कार्यकारिणी का चयनः–**

बिरहोर जनजाति के केन्द्रीय जाति पंचायत में पदाधिकारीयों का चयन उसकी योग्यता व कार्य को देख कर चुना जाता है। उसकी योग्यता निम्न प्रकार होनी आवश्यक होती हैः–

1. बिरहोर जनजाति का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।

2. जाति के प्रथागत कानून एवं सामाजिक नियमों का अच्छा ज्ञान रखता है तथा कानून अपराधी न हो।

3. शिक्षित समझदार व न्यायप्रीय हो।

4. अधिक उम्र का न हो तथा चरित्रवान हो।

(4) केन्दीय बिरहोर पंचायत की कार्यकाल:–

केन्द्रीय बिरहोर पंचायत की कार्य काल की कोई निश्चित अवधी नही होती है, प्रायः बिरहोर जाति के लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते है। इसलिए पदाधिकारी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है।

(5) केन्द्रीय बिरहोर पंचायत की बैठक:–

केन्दीय बिरहोर पंचायत की प्रति वर्ष एक वार्षिक आम सभा (सम्मेलन) बिरहोर बहुल क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अलग–अलग स्थानों पर होती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार बैठक होती रहती है। वार्षिक आम सभा में सभी बिरहोर परिवार के एक सदस्य उपस्थीत होते है, वार्षिक आम सभा में अपीलिय प्रकरणों का निराकरण एवं नए समाजिक नियम बनाऐं जाते है।

(6) केन्द्रीय जाति पंचायत के कार्य :– बिरहोर केन्द्रीय जाति पंचायत सामाजिक राजनैतिक संगठन में सर्वेच्च संस्था है जिनका दायित्व बिरहोर जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक उत्थान हेतु जाति सामाज के लोगों को प्रेरित करना होता है। इस हेतु सामाजिक प्रमुख द्वारा वार्षिक महासभा का आयोजन किया जाता है। वार्षिक महासभा में बिरहोर गांव के ग्राम प्रमुख लोग एवं अन्य सक्रिय सदस्य उपस्थित होते है।

1. जातिगत झगड़ों का निपटाटा करना :– बिरहोर जाति के केन्द्रीय पंचायत का मुख्य कार्य जो सामाजिक झगढ़े, ग्राम स्तर पर निराकरण नहीं हो पाता है, निराकरण हो जाने पर यदि कोई पक्षकार निर्णय को मानने से इंकार कर देता है। तो वह ग्राम जाति पंचायत के निर्णय को केन्द्रीय जाति पंचायत में अपील कर सकता है। केन्दीय जाति पंचायत ऐसे मामलों के निराकरण करने के लिए सबसे पहले तिथि निर्धारितत करता है और संबंधित पक्षकारों को

इसकी सूचना सामाजिक कोटवारों के माध्यम से दिया जाता है। संबंधित पक्षकार सूचना के आधार पर केन्द्रीय जाति पंचायत के समक्ष उपस्थित होते है केन्द्रीय जाति पंचायत प्रथागत कानून के आधार पर फैसला सुनाता है, जिसे संबंधित पक्षकारों को मानना पड़ता है केन्द्रीय जाति केन्द्रीय जाति पंचायत की फैसला अंतिम होती है।

2. विवाह विच्छेद मामलों का निपटाटा करना :— विवाद विच्छेद का सामाय अर्थ पति पत्नी का अलग—अलग रहना है बिरहोर जनजातियों में विवाह विच्छेद निम्नांकित कारणों से होता है। 1. पति पत्नी के बीच झगढ़े इतना बढ़ गया है कि साथ साथ रहकर जीवन यापन करना मुश्किल हो। इस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर करने का प्रयास किया जाता है लेकिन जब बात ग्रामीण स्तर पर नहीं बनती है तब मामला केन्द्रीय पंचायत के पास आती है केन्द्रीय जाति पंचायत दोनों पक्षकारों की दलिल सुनता है फिर यदि मामला इतना बढ़ गया है कि पति पत्नी साथ—साथ रहना मुशकिल है तो विवाह विच्छेद का फैसला सुनाता है।

3. सगोत्र विवाह रोकना व विवाह करने पर डांड देना :— बिरहोर जाति में सगोत्र विवाह वर्जित है इसलिए कोई भी बिरहोर एक गोत्र में विवाह नहीं करने है मान्यता यह कि एक गोत्र के लोग आपस में भाई—भाई होते है इसलिए विवाह संबंधी रिश्ते एक गोत्र में तय नहीं कि जाती है। यदि कोई बिरहोर व्यक्ति एक ही गोत्र में कर लेता है तो उसे सामाजिक नियमों का उल्लंगन करने पर केन्द्रीय जाति पंचायत दण्डित किया जाता है।

4. गोहत्या आदि का प्रायश्चित करना :— जनजाति समाज में भी हिन्दू धर्म के भांति गौ को माता समझा जाता है बिरहोर जनजाति में गौ की हत्या करना पाप समझा जाता है गौ—हत्या को सबसे—बड़ी पाप मनाते हुए बिरहोर केन्द्रीय जाति पंचायत गौ—हत्या करने वाले व्यक्ति को समाजिक नियमों एंव प्रथागत कानून नुसार दण्डित करता है तथा इसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता है बिरहोर जाति में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को गंगा का जल लाना पड़ता है। गंगा जल को पूरे घर में छिडकना पड़ना है एवं समाज वालो को सामाजिक भोज भी कराना पड़ता है ये सब करने से ही उसके पाप दूर होता है।

5. **जाति के लोगों को धार्मिक उत्सवों व त्यौहारों पर एकत्रित करना** :— बिरहोर केन्द्रीय जाति पंचायत सामाजिक धार्मिक उत्सवों व त्यौहारों पर एकत्रित करना बिरहोर केन्द्रीय जाति पंचायत सामाजिक धार्मिक उत्सवों व त्यौहारों पर एकत्रित करने का भी कार्य करती है। केन्द्रीय जाति पंचायत के आहवान करने पर सभी बिरहोर परिवार निश्चित स्थान में एकत्रित होते है व हर्षो उल्लास के साथ त्यौहार मनाते है।

7. **देवी देवताओं का पूजा करना व मंदिर बनवाना** :— बिरहोर जनजाति के लोग मुख्यतः बूढ़ीमाता, जंगल की देवी महामाया देवी, दुधमाई, पूर्व के देव आदि की पूजा पाठ करते है, इन देवी देवताओं का पूजा प्रायः सभी बिरहोर जाति के लोग करते है। बिरहोर लोग इन देवी देवताओं में श्रद्धा व विश्वास रखते है। केन्द्रीय जाति जाति पंचायत भी सभी बिरहोरों को देवी देवताओं की पूजा करने की अहवान करती है।

अध्याय – चार
बिरहोर जनजाति की प्रथागत कानून एवं सामाजिक नियमावली

जनजातिय समाज में भी हिन्दु समाज के भांति ही व्यक्ति के जमम से मृत्यु तक अनेक संस्कार किये जाते है जिसमें जम्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मृत्यु संस्कार प्राय : सभी जनजाति समाजों में किया जाता है प्रथागत कानून एवं सामाजिक नियम इन संस्कारों को निर्वाह समय पालन किया जाता है। प्राय : सभी जनजातियों में संस्कार मिलता जुलता पाये जाती है, भिन्नता बहुत कम पायी जाती है। बिरहोर जनजातियों में भी कुछ निश्चित प्रथागत कानून एवं सामाजिक निमयवली बनी हुई है जो पीढ़ी स्थानांतरित होती है। बिरहोर जाति में पायी जाने वाली प्रथागत कानून निम्न प्रकार कि है :–

1. **जातिगत सगड़ों के संबंध में प्रथागत कानून :–** बिरहोर जनजाति में सामाजिक नियंत्रण के लिये बनाये गये नियम कठोर है और उनके परिपालन के लिए जाति पंचायत गठित है सामाजिक तथा सांसकृति विवाद का निपटारा इन्ही के द्वारा किया जाता है। बिरहोर परिवारों की संख्या किसी भी ग्राम में अधिक नहीं होती है और विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है तो उसका निरारकरण ग्राम जाति पंचायत द्वारा किया जाता है। जातिगत झगड़ा करने पर बिरहोर समाज दोषी व्यक्ति से अर्थदण्ड के रूप में राशि 500 एवं जाति समाज को सामाजिक भोजदण्ड प्रवधान रखा गया है।

2. **सगोत्र विवाह के संबंध में प्रथागत कानून** :– भारतीय हिन्दु समाज में सगोत्र विवाह को कोई भी समाज मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसके पीछे यह धारणा है कि एक ही गोत्र वाले आपस में भाई–भाई का रिश्ता होती है इसलिए सगोत्र विवाह को समाज मान्यता नहीं देती है। बिरहोर जनजाति में भी इस संबंध में बहुत ही कठोर नियम बना हुआ है इसलिए कोई भी बिरहोर सगोत्र विवाह नहीं करता है। इस संबंध बिरहोर जाति भी इस प्रकार भी कृत्य करने वाले व्यक्ति को जाति समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है एवं दोनों पक्षों को अर्थदण्ड राशि 1000 रूपए से दण्डित किया जाता है।

3. **बहु विवाह के संबंध में प्रथागत कानून** :– बिरहोर जाति में सामान्य : बहु विवाह अथवा एक से अधिक पत्नी रखने की मान्यता नहीं है। परन्तु बच्चा न होने पर एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति दी जाती है। यदि कोई बिरहोर व्यक्ति पहली पत्नी से बच्चा होने के बाद भी दूसरी पत्नी रखता है। तो बिरहोर जाति पंचायत इसकों मान्यता प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार की कृत्य करने वाली व्यक्ति को जाति समाज द्वारा अर्थदण्ड राशि 3000 रूपए एवं जाति समाज को सामाजिक भोज से दण्डित करने का प्रावधान रखा है।

4. **विवाह पूर्व संबंध के संबंध में प्रथागत कानून** :– अविवाहित बिरहोर लड़का लड़की यदि शारीरिक संबंध स्थापित करते है और लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसे जाति समाज से बहिस्कृत किया जाता है। इसके साथ कोई भी बिरहोर जाति के लोग बात – चीत एवं जाति समाज में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सामाजिक स्तर पर कठोर नियम होने के कारण कोई भी बिरहोर लड़की अथवा लड़का इस प्रकार की कृप्य नहीं करते है।

5. **विधवा विवाह के संबंध में प्रथागत कानून** :– बिरहोर जनजाति में विवधा विवाह का प्रचलन है परन्तु विधुर से अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी पत्नी न हो से विवाह कर सकती है। अन्यथा कि स्थिति में जाति पंचायत अर्थ दण्ड राशि 2000 रूपए एवं गांव समाज को सामाजिक भोज कराना पड़ता है।

6. **अंतर्जातीय विवाह के संबंध में प्रथागत कानून** :– बिरहोर जनजाति अंतर्गतीय विवाह को मान्यता नहीं किया जाता है। यदि को बिरहोर लड़का दूसरे जाति समाज के लड़की से या दूसरे जाति के लड़का बिरहोर जाति के लड़की से शादी कर लेता है। तो बिरहोर जाति पंचायत अन्य समाज के लड़की को अपने समाज में कभी भी स्वीकार नहीं करता है। यदि उस औरतसे संतान होती है तो उसे जाति समाज में मिलाया जाता है। इस पीछे यह धारणा कि बच्चे बिरहोर के खून से पैदार हुआ इसलिए इन्हें मिलाया जाता है। बिरहोर जाति की लड़की अन्य समाज में विवाह कर लेती है तो उसे

जाति पंचायत जाति समाज से बहिस्कृत कर देता है और लड़की के माता–पिता को दूसके लिए दण्डित राशि 1000 रूपए एवं समाजिक भोज से दण्डित करता है।

7. **गौ हत्या प्रायश्चित के संबंध में प्रथागत कानून** :– भारतीय हिन्दू समाज में गौ दो माता समझा जाता है। बिरहोर जाति में भी गौ को माता समझाजाता है यदि किसी बिरहोर के द्वारा धोखा में किसी गौ माता की हत्या हो जाती है। तो उसके उपर गौ हत्या की पाप लग जाती है। इस पाप से मुक्ति परने के लिए उसे गंगा का जल लाकर अपने घर में छिड़कना पड़ता है तथा गांव समाज वालों को सामाजिक भोज करना पड़ता है ये गौ हत्या की पाप से मुक्ति मिल गयी।

8. **फूलफरी के संबंध में प्रथागत कानून** :– जब किसी व्यक्ति के शरीर में घाव हो जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाता है तो उसे फुलफरी कहा जाता है क्योकि इसके पीछे यह धारणा है कि व्यक्ति के जीत जीते उसके उपर कीड़े नहीं पड़ते है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान उससे नाराज है इसलिए उसके शरीर के घाव भर नहीं रहा है और घाव में कीड़े पड़ गये है। बिरहोर समाज के किसी व्यक्ति के उपर इस की घटना घटती है तो इसे अछुत समझा जाता है। शुद्ध होने के लिए संबंधित व्यक्ति के द्वारा जाति समाज को सामाजिक भोज कराना पड़ता है।

–––0–––